रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 1996/अग्रहायण 12, 1918
No. 706] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 1996/AGRAHAYANA 12, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1996

आय-कर

का. आ. 849 (अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 1996 है।

(2) ये 1 अक्तूबर, 1996 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आय कर नियम, 1962 के नियम 67 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विनिधान की रीति निम्नलिखित है, अर्थात् :—

(i)	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में	विनिधान योग्य धनराशि का 25 प्रतिशत;
(ii)	(क) किसी राज्य सरकार द्वारा सर्जित और जारी की गई तथा लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 में यथापरिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों में और/या	विनिधान योग्य धनराशि का 15 प्रतिशत
	(ख) लोक वित्तीय संस्था या किसी पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा जारी किए गए बंधपत्र या प्रतिभूतियों से अन्यथा किन्हीं अन्य परक्राम्य प्रतिभूतियों में जिनका मूलधन और उस पर ब्याज, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से और बिना किसी शर्त के प्रत्याभूत है;	
(iii)	केन्द्रीय सरकार की विशेष निक्षेप स्कीम में।	विनिधान योग्य धनराशि का 20 प्रतिशत

(iv)	(क) लोक वित्तीय संस्था या किसी पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा जारी किए गए बंधपत्र या प्रतिभूतियों में और/या	विनिधान योग्य धनराशि का 40 प्रतिशत
	(ख) पब्लिक सैक्टर बैंक द्वारा जारी किए गए निक्षेपों के प्रमाणपत्र में।	

परन्तु, जहां कोई धनराशि इस उप-नियम के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iv) के अधीन विनिर्दिष्ट पूर्व विनिधान की परिपक्वता पर प्राप्त की जाती है, ऐसी धनराशि आबद्ध कर आवक घटा कर इस उपनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति के अनुसार विनिहित की जाएगी:

परन्तु यह और कि जहां धनराशि विशेष निक्षेप स्कीम और उस पर ब्याज के अधीन निक्षेप की परिपक्वता पर प्राप्त की जाती है, वहां ऐसी धनराशि विशेष निक्षेप स्कीम के अधीन विनिहित की जा सकेगी और वैसी ही इस उपनियम के खंड (i), खंड (ii) और खंड (iv) के अधीन विनिर्दिष्ट विनिधान पर प्राप्त ब्याज उसी प्रकार के विनिधान में पुनः विनिहित किया जा सकेगा:

परन्तु यह भी कि 30 सितम्बर, 1996 के पश्चात् लेकिन 1 अप्रैल, 1995 से 30 सितम्बर, 1996 तक विनिहित कोई धनराशि इस निमित प्रवृत्त विनिधान की रीति के अनुसार इस अधिसूचना के जारी करने की तारीख को या उससे पूर्व इस उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति में विनिहित हुई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण 1 — इस उपनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान की रीति पूर्व वर्ष में निधि की विनिधान योग्य धनराशि की सकल रकम को लागू होगी।

स्पष्टीकरण 2 — इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "लोक वित्तीय संस्था" पद के, वही अर्थ होंगे जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में उसे समनुदिष्ट है;

(ii) "पब्लिक सैक्टर कंपनी" पद के, वही अर्थ होंगे जो आय कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (36क) में उसे समनुदिष्ट है; और

(iii) "पब्लिक सैक्टर बैंक" पद के वही अर्थ होंगे जो आय-कर अधिनियम की धारा 10 के खंड (23घ) में उसे समनुदिष्ट है"।

[फा. सं.149/139/96-टी.पी.एम./संख्या-10236]

जय राज काजला, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 1996

INCOME-TAX

S.O. 849 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the first day of October, 1996.

2. In Income-tax Rules, 1962, in rule 67, for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) The manner of investment referred to in sub-rule (1) is the following namely :—

(i)	in Central Government Securities	twenty-five per cent of the investible moneys;
(ii)	(a) in Government Securities as defined in Section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), created and issued by any State Government; and/or	fifteen per cent of the investible moneys;
	(b) in any other negotiable securities, the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government except bonds or securities issued by a Public financial institution or a public sector company;	
(iii)	in Central Government Special Deposit Scheme	twenty per cent of the investible moneys;
(iv)	(a) in bonds or securities issued by a public financial institution or a public sector company; and/or	forty per cent of the investible moneys;
	(b) in a certificate of deposits issued by a public sector bank.	

Provided that where any moneys are received on the maturity of earlier investment specified under clause (i), clause (ii) and clause (iv) of this sub-rule, such moneys, reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the manner of investment specified in this sub-rule:

Provided further where moneys are received on maturity of deposits under Special Deposit Scheme and interest thereon, such moneys may be invested under the Special Deposit Scheme and, similarly, interest received on investments specified under clause (i), clause (ii) and clause (iv) of this sub-rule may be re-invested in the same type of investment:

Provided also that any amount invested after 30th September, 1996, but on or before the date of issue of this notification in accordance with the manner of investment in force in this behalf from 1st day of April, 1995 to 30th September, 1996 shall be deemed to have been invested in the manner specified in this sub-rule.

Explanation 1—The manner of investment specified in this sub-rule shall apply to the aggregate amount of investible moneys with the fund in the previous year.

Explanation 2—For the purposes of this sub-rule,—

(i) the expression "public financial institution" shall have the meaning assigned to it in section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(ii) the expression "public sector company" shall have the meaning assigned to it in clause (36A) of section 2 of the Income-tax Act; and

(iii) the expression "public sector bank" shall have the meaning assigned to it in clause (23D) of section 10 of the Income-tax Act.".

[F. No. 149/139/96-TPL/No. 10236]

JAI RAJ KAJLA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996